

भाग-द

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र

मेसर्स रुद्रा रियल टेक प्राइलो, निदेशक श्री आनन्द कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा आराजी संख्या-2917 मौजा-जैतपुरा, ईश्वरगंगी, वार्ड-कोतवाली, भवन संख्या-के० 67/80, मौजा-जैतपुरा, मो०-ईश्वरगंगी, वार्ड-कोतवाली, वाराणसी पर समूह आवास भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, श्री गौरीशंकर, सहायक अभियन्ता, श्री एम०एन० अंसारी तथा सहायक नगर नियोजक, श्री मनोज कुमार द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत शमन मानचित्र परमिट संख्या-के० 7/2013यु०हा०/कम्पा०/विन्यास दिनांक 16.08.18 निर्गत रजिस्टर के क्रमांक-32 पर दर्ज है, के अनुरूप सही पाया गया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वाराणसी तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 31.07.18 के क्रम में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र संख्या-एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2018 दिनांक 31 जुलाई, 2018 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

- मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, वाराणसी।

प०स०-एसटी/एफएस/आई-3(सी)/2018

दिनांक 31.07.2018

हस्ताक्षर :

पदनाम : प्रभारी अधिकारी (मानचित्र)

- आर्किटेक्ट / स्ट्रक्चरल इन्जी० का प्रमाण-पत्र।

०/८